



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| सं. 166] | नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 16 2013/पौष 26, 1934         |
| No. 166] | NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 16, 2013/PAUSA 26, 1934 |

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2013

**का.आ. 175(अ).**—केंद्रीय सरकार, ने भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 158 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 25 जनवरी, 2012 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य के कोलकाता महानगर में टॉलीगंज से न्यू गडिया तक मेट्रो रेल के निर्माण और उससे संबंधित अन्य संकर्मों के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों, भवनों, पथों, सड़कों रास्तों या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाचार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और केंद्रीय सरकार, का सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों, भवनों, पथों, सड़कों रास्तों या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाचार उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं ;

अंतः, अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, 1978 की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट भूमियों, भवनों, पथों, सड़कों, रास्तों या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाचार को अर्जित करती है;

अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों जिनका अर्जन किया गया है, का रेखांक सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय अर्थात्, श्री दीनानाथ प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी मेट्रो रेल 39/1, रास बिहारी एवेन्यू, (प्रथम तल) कोलकाता-700026 में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है ।

## अनुसूची

पश्चिमी बंगाल राज्य के कोलकाता शहर में टॉलीगंज से न्यू गडिया तक मेट्रो रेलवे के निर्माण और उससे संबंधित अन्य संकर्मों के निर्माण के प्रयोजन के लिए संरचना सहित और संरचना रहित अर्जित की जाने वाली भूमि की संक्षिप्त वर्णन:

| क्र.सं. | योजना सं.                   | मौजा का नाम | दाग सं.                                                                                                                                    | भूमि का वर्णन                                                   | भूमि का क्षेत्र                        | भूमि की सीमा                                                                                                     | अर्जन की प्रकृति |
|---------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.      | एमआरसी/डब्ल्यू/सर्वे/1-2008 | गड़गचा      | 59 (पी), 65 (पी), तथा 80 (पी)                                                                                                              | अर्जन ज़ोन में आने वाली खाली भूमि, तालाब, घर और अन्य कोई संरचना | 4,500 वर्ग मीटर = 0.45 हेक्टेयर (लगभग) | उत्तर-गड़गचा मौजा के प्लॉट दक्षिण- गड़गचा मौजा के प्लॉट पूर्व- गड़गचा मौजा के प्लॉट पश्चिम- गड़गचा मौजा के प्लॉट | स्थायी           |
| 2.      | एमआरसी/डब्ल्यू/सर्वे/2-2008 | बृजी        | 1016, 1017, 1013, 828, तक घिरे हुए तथा सटे हुए दाग सं. 1073 (पी), 1074(पी), 1021(पी), 1105(पी), 1014(पी), 1013(पी), 1016(पी) तथा बृजी रोड। | अर्जन ज़ोन में आने वाली खाली भूमि, तालाब, घर और अन्य कोई संरचना | 3,000 वर्ग मीटर = 0.30 हेक्टेयर (लगभग) | उत्तर- बृजी मौजा के प्लॉट दक्षिण- टॉली नाले के प्लॉट पूर्व- बृजी मौजा के प्लॉट पश्चिम- बृजी मौजा के प्लॉट        | स्थायी           |

[फा. सं. 2001/प्रोजे./सी/9/1]

के.के. अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक (संकर्म योजना)

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**(RAILWAY BOARD)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2013

**S.O. 175(E).**— Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways number S.O. 158(E), dated the 25<sup>th</sup> January, 2012, issued under sub-section (1) of section 7 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25<sup>th</sup> January, 2012, the Central Government gave notice of its intention to acquire lands, buildings, streets, roads, passages or the right of users or easement therein, specified in the Schedule appended to the said notification, for the purpose of construction of Metro Railway from Tollygunge to New Garia and other works connected therewith in the metropolitan City of Kolkata in the State of West Bengal;

And whereas, the Central Government, on the report of the Competent Authority is satisfied that the lands, buildings, streets, roads, passages or the right of users or easement therein, specified in the Schedule appended to the said notification, are required for the above said purpose;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the said Act, 1978, the Central Government do hereby acquires the lands, buildings, streets, roads, passages or the right of users or easement therein, as specified in the Schedule below;

The plan of the areas, specified in the Schedule which are acquired, is available for inspection in the office of the Competent Authority namely, Shri Dinanath Prasad, Competent Authority, Metro Railway, at 39/1, Rash Behari Avenue, (1<sup>st</sup> Floor), Kolkata-700026.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the purpose of construction of Metro Railway from Tollygunge to New Garia and other works connected therewith in the city of Kolkata in the state of West Bengal

| Serial Number | Plan Number          | Name of Mouza | Dag Number                                                                                             | Description of Land                                                                   | Area of Land                                       | Boundary of Land                                                                                               | Nature of acquisition |
|---------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.            | MRC/W/ Survey/1-2008 | Garagacha     | 59(P), 65(P) and 80(P)                                                                                 | Vacant land, pond, houses and any other structures falling in the zone of acquisition | 4,500 Square Meter = 0.45 Hectare (Approx imately) | N-Plots of Garagacha Mouza, S-Plots of Garagacha Mouza, E-Plots of Garagacha Mouza, W-Plots of Garagacha Mouza | Permanent             |
| 2.            | MRC/W/ Survey/2-2008 | Briji         | 1073(P), 1021(P), 1014(P), 1016(P), Dag No. butted and bounded by 1016, 1017, 1013, 828 and Briji Road | Vacant land, pond, houses and any other structures falling in the zone of acquisition | 3,000 Square Meter = 0.30 Hectare (Approx imately) | N-Plots of Briji Mouza, S-Tolly nullah, E-Plots of Briji Mouza, W-Plots of Briji Mouza                         | Permanent             |

[F. No. 2001/Proj./C/9/1]

K. K. AGGARWAL, Executive Director (Works Planning)